अंतर-राज्यीय गरिफ्तारियाँ

प्रलिमि्स के लयि:

दंड प्रक्रयिा संहति, भारतीय संवधिान की सातवीं अनुसूची, भारत के संवधिान का अनुच्छेद 22(2)

मेन्स के लयि:

अंतर-राज्यीय गरिफ्तारी, पुलसि सुधार, वभिन्नि सुरक्षा बल और एजेंसयिाँ और उनके अधदिेश, नरि्णय और मामले

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंजाब पुलसि द्वारा एक राजनेता की गरिफ्तारी पर दलि्ली पुलसि **द्वारा पंजाब पुलसि टीम के खलिाफ अपहरण का मामला** दर्ज करने पर संकट की स्थति उत्पन्न हो गई है।

- गरिफ्तारी को लेकर उग्र ववािद ने **पुलसि अधकिार क्षेत्र और अंतर-राज्यीय पुलसि सहयोग** को लेकर बहस छेड़ दी है।
- इस तरह की राजनीतकि रूप से संचालति प्रक्रयिा के प्रभाव **नष्पिक्षता और समानता के लयि चुनौती** के अलावा और कुछ नहीं हैं। यह मामला **न्याय का वषिय बनने के बजाय राजनीतकि प्रतद्विंद्वति** का वषिय बन गया ह।

अंतर-राज्यीय गरिफ्तारी की प्रक्रयिा:

- भारतीय संवधिान की सातवीं अनुसूची (सूची II) **की प्रवष्टि संख्या 2** में 'पुलसि' को राज्य सूची में रखा गया है, जसिका अर्थ है क **पुलसि से संबंधति** सभी मामलों पर **राज्य सरकार** द्वारा नरि्णय लयिा जाएगा।
- मोटे तौर पर कानून की मंशा यह रही है कि किसी वशिष राज्य में अपराधी को उस राज्य की पुलसि द्वारा गरिफ्तार कयिा जाना चाहयि।
  - हालाँकि कुछ परस्थितियिों में कानून एक राज्य की पुलसि को दूसरे राज्य में आरोपी को गरिफ्तार करने की अनुमति देता है।
- यह एक सक्षम न्यायालय द्वारा जारी कयि गए वारंट के नष्पिादन द्वारा या बनिा वारंट के भी कयिा जा सकता है, इस मामले में संबंधति राज्य पुलसि को स्थानीय पुलसि को गरिफ्तारी के बारे में सूचति करना होता है।
- देश भर में राज्य पुलसि बल नयिमति रूप से अन्य राज्यों में गरिफ्तारी करते हैं। सामान्य तौर पर यह कार्य स्थानीय पुलसि की सहायता से कयिा जाता है।
  - हालाँकि कई मामलों में स्थानीय पुलसि को गरिफ्तारी से पहले या बाद में केवल सूचति कयिा जाता है।

अंतर-राज्यीय गरिफ्तारियों पर कानून:

- दंड प्रक्रयिा संहति (CrPC) की धारा 79 सक्षम अदालतों द्वारा जारी वारंट के आधार पर अंतर-राज्यीय गरिफ्तारी से संबंधति है।
  - यह धारा ऐसी गरिफ्तारियों के लयि वसि्तृत प्रक्रयिा नरि्धारति करती है। हालाँकि जहाँ तक **वारंट के बनिा गरिफ्तारी** का संबंध है, किसी **अन्य राज्य में किसी आरोपी को गरिफ्तार करने की पुलसि की शक्तयिों को स्पष्ट रूप से परभिाषति नहीं** कयिा गया है।
- CrPC की धारा 48 पुलसि को ऐसी शक्तयिाँ देती है लेकनि प्रक्रयिा को परभिाषति नहीं कयिा गया है।
  - धारा 48 के अनुसार, "एक पुलसि अधकिारी बनिा वारंट के किसी भी व्यक्ति को गरिफ्तार करने के उद्देश्य से अर्थात् जसि गरिफ्तार करने के लयि उसे अधकिृत कयिा गया है, भारत में किसी भी स्थान पर ऐसे व्यक्ति का पीछा कर सकता है।"
  - यह पूर्व से ववािदति है कि क्या "पीछा करना" शब्द का अर्थ किसी अन्य राज्य में पीछा करना है या किसी ऐसे आरोपी पर लागू होना है जो दूसरे राज्य में रह रहा है और जाँचकर्त्ताओं के साथ सहयोग नहीं कर रहा है।
- **भारत के संवधिान का अनुच्छेद 22(2):** प्रत्येक व्यक्ति जिसे गरिफ्तार कयिा गया है और हरिासत में रखा गया है, को चौबीस घंटे की अवधि के भीतर नकिटतम मजस्ट्रिेट के समक्ष पेश कयिा जाएगा।
  - गरिफ्तारी के स्थान से मजस्ट्रिेट के न्यायालय तक की **यात्रा में लगा समय 24 घंटे में शामलि नहीं है।**
  - इसके अलावा "ऐसे किसी भी व्यक्ति को मजस्ट्रिेट के अधकिार के बनिा उक्त अवधि के बाद हरिासत में नहीं रखा जाएगा।"
  - यह **CrPC की धारा 56 और 57** में भी नरि्धारति है।

न्यायालयों द्वारा अंतर-राज्यीय गरिफ्तारियों पर कानूनी व्याख्या:

- वर्ष 2019 में 'संदीप कुमार बनाम राज्य (दिल्ली सरकार की एनसीटी)' मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतर-राज्यीय गरिफ्तारी हेतु कुछ दिशा-निर्देश जारी किये। उदाहरण के लिये:
    - न्यायालय द्वारा कहा गया कि एक पुलिस अधिकारी को किसी अपराधी को गरिफ्तार करने हेतु दूसरे राज्य का दौरा करने के लिये अपने वरिष्ठ अधिकारी से लिखित या फोन पर अनुमति लेनी होगी।
    - पुलिस अधिकारी को इस तरह के कदम के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना चाहिये और "आकस्मिक मामलों" को छोड़कर पहले न्यायालय से गरिफ्तारी वारंट प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये।
    - "दूसरे राज्य का दौरा करने से पहले पुलिस अधिकारी को उस स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये जिसके अधिकार क्षेत्र में वह जाँच का संचालन करता है।
- दिशा-निर्देश "तत्काल मामलों" में एक अपवाद हैं, जिसमें एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में अपने समकक्षों को आसन्न गरिफ्तारी की सूचना नहीं दे सकती है।

आगे की राह

- सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि राजनीतिक हस्तक्षेप निष्पक्ष जाँच में बाधा के रूप में काम कर रहा है।
    - इसके अतिरिक्त द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप ने इसकी जवाबदेही का लाभ उठाया है और राजनेता व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिये पुलिस का उपयोग कर रहे हैं।
- इस प्रकार अति आवश्यक पुलिस सुधारों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/inter-state-arrests